सं0- 625 सी0डी0/46-3-10-1000(76)/2009

प्रेषक,

विजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकः 27 अप्रैल 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-02/लेखा/बजट/2010-11, दिनांक 08 अप्रैल 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में वचनबद्ध व्यय को वहन करने हेतु लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1,40,52,22,000 (रू0 एक अरब चालीस करोड़ बावन लाख बाईस हजार मात्र) मतदेय तथा रू0 1,50,000 (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) भारित संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुर्नविनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 में ही किया जायेगा तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय विवरण शासन को नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0934/दस-2008-मित0-1 /2007 दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से तथा पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

5- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या- बी0-1-5791/दस-

apfg41

2005-247/2005, दिनांक 21 मार्च, 2005 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6- वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित, व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वित्त विभाग के सज्ञान में लाया जाये।

7- उक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग की जाए, जो सामान्यतः 2 माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

8- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान संगत लेखाशीर्षकों में व्यवस्थित धनराशि से किया जायेगा तथा इसका आहरण वित्तीय वर्ष 2010-2011 में माह अक्टूबर 2010 के पूर्व नहीं किया जायेगा। अवशेषों के 40 प्रतिशत का भुगतान उक्त लेखाशीर्षक से ही किया जायेगा। वित्त वेतन आयोग के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-12-4(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप व्यय अवशेष 40 प्रतिशत का आहरण वित्तीय वर्ष 2010-2011 में माह अक्टूबर, 2010 के पूर्व नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

पृ0सं0-625(1) सी0डी0/46-3-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित ।

1- महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- गार्ड पत्रावली ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

apfg42

शासनादेश संख्या-625सी0डी0/46-3-10-1000(76)/2009, दिनांक 27 अप्रैल, 2010 का संलग्नक

2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान	
01-वेतन	40000
02-मजदूरी	500
03-महँगाई भत्ता	13200
04-यात्रा व्यय	720
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200
06-अन्य भत्ते	4000
07-मानदेय	20
08-कार्यालय व्यय	700
09-विद्युत देय	2000
10-जलकर /जलप्रभार	35
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	250
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13-टेलीफोन पर व्यय	350
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	300
42-अन्य व्यय (भारित)	150
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्यप्रासंगिक व्यय	150
45-अवकाश यात्रा व्यय	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सा्टवेयर का क्रय	400
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	250
49-चिकित्सा व्यय	1850
51-वर्दी व्यय	44
योग: 001/03 मतदेय	65469
भारित	150
04-क्षेत्रीय कार्यालय	
01-वेतन	1700
03-महँगाई भत्ता	561
04-यात्रा व्यय	144
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15
06-अन्य भत्ते	170
07-मानदेय	10
08-कार्यालय व्यय	32
09-विद्युत देय	60
10-जलकर /जलप्रभार	02
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	10
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10
13-टेलीफोन पर व्यय	30

17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	100
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिकव्यय	17
45-अवकाश यात्रा व्यय	50
49-चिकित्सा व्यय	34
50-महँगाई वेतन	---
51-वर्दी व्यय	03
योगः 04	**2948**
योगः-001 (मतदेय)	**68417**
(भारित)	**150**
108-वाणिज्यिक फसले	
03-गन्ना आयुक्त (पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग)	
01-वेतन	403469
03-महँगाई भत्ता	133145
04-यात्रा व्यय	720
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	350
06-अन्य भत्ते	24678
07-मानदेय	35
08-कार्यालय व्यय	220
09-विद्युत देय	220
10-जलकर /जलप्रभार	07
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	100
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70
13-टेलीफोन पर व्यय	90
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	800
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिकव्यय	200
45-अवकाश यात्रा व्यय	100
49-चिकित्सा व्यय	1500
50-महँगाई वेतन	----
51-वर्दी व्यय	20
योग-108/03	**565724**
04-गन्ने की खेती के विकास तथा उसके प्रगाढीकरण	
01-वेतन	400043
03-महँगाई भत्ता	132014
04-यात्रा व्यय	1440
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	260
06-अन्य भत्ते	34400
07-मानदेय	20
08-कार्यालय व्यय	600
09-विद्युत देय	600
10-जलकर /जलप्रभार	12
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
13-टेलीफोन पर व्यय	300

15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	400
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	890
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	600
45-अवकाश यात्रा व्यय	150
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	300
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	420
49-चिकित्सा व्यय	1200
50-महँगाई वेतन	---
51- वर्दीव्यय	45
योगः 04	**574194**
योगः-108	**1139918**
111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सॉख्यिकी **03-गन्ना उत्पादन कार्यक्रम के कार्यो एवं उसके आघातों का अध्ययन**	
01-वेतन	1550
03-महँगाई भत्ता	512
04-यात्रा व्यय	30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	04
06-अन्य भत्ते	155
07-मानदेय	02
08-कार्यालय व्यय	10
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	04
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	10
49-चिकित्सा व्यय	07
50-महँगाई वेतन	---
51-वर्दी व्यय	01
योगः 111	**2295**
800-अन्य व्यय **03-अवशेषों का भुगतान** **01-वेतन**	**194592**
कुल योगः-2401 (मतदेय) (भारित)	**1405222** **150**

(रू0 एक अरब चालीस करोड़ बावन लाख बाईस हजार मात्र मतदेय एवं रू0 एक लाख पचास हजार मात्र भारित)

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

apfg45